



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- क्रूरतापूर्वक वाहन में क्षमता से अधिक बेजुबान पशुओं को लादकर ले जाते समय 03 अभियुक्तों को थाना कालिंजर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।
- एक ट्रक में 19 भैंसे लेकर शहडोल म0प्र0 से आ रहे थे अभियुक्त। चेकिंग के दौरान चौगलिया चौराहा से किया गया गिरफ्तार।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नरैनी श्रीमती अम्बुजा त्रिवेदी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 12.04.2025 को सुबह गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कालिंजर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को एक ट्रक में क्रूरतापूर्वक पशुओं को लादकर कोतमा शहडोल (म0प्र0) से आते समय थाना कालिंजर क्षेत्र के चौगलिया चौराहे से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कालिंजर में अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

- ❖ 19 नग भैंसे
- ❖ 01 ट्रक 14 चक्का (परिवहन में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. चिंटू वर्मा पुत्र सुखदेव निवासी टिकुरिया टोला थाना कुलगवां जनपद सतना (म0प्र0)।
2. मो0 इब्राहिम पुत्र खलील निवासी केशवाही थाना बुढ़ार जनपद शहडोल (म0प्र0)।
3. सत्यप्रकाश यादव पुत्र ओमप्रकाश निवासी झीकबीजीरी थाना जैतपुर जनपद शहडोल (म0प्र0)।

पंजीकृत अभियोग-

- ❖ मु0अ0सं0 43/25 धारा 11(1)(डी) पशु क्रूरता निवारण अधि0 1960 थाना कालिंजर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 कालिंजर श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री रामरक्षा सिंह
3. कां0 शारदा प्रसाद
4. कां0 राहुल राठौर